Form No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय सहायक जिलाधीश एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

बनवारी व अन्य बनाम रामरतनगिरी व अन्य

किस्म मुकदमा 53, 88, 188, 209 राज.काश्तकारी अधिनियम 1955 वाद संख्या: 57 सन् 2014

निर्णय प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 व आदेश 1 नियम 9 व 151 सीपीसी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
07.01.2020	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हुई। पत्रावली के तथ्य इस प्रकार से है कि इस वाद पत्र मे प्रतिवादी संख्या 6 ता 8 द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 व आदेश 1 नियम 9 व 151 सीपीसी प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण ने यह वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 88, 188, 209 आरटीए के तहत प्रस्तुत किया गया जिसमें वादीगण ने उक्त वाद पत्र में जैरवाद रकबा चक 3 ए.एस. के खाता नम्बर 92/81 के पत्थर नम्बर 134/5 के किला नम्बर 1 ता 19, 22 ता 25 में 5.719 हैक्टेयर रकबा में अपना हिस्सा घोषित करने का अनुतोष चाहा हैं जो अपने पिता प्रतिवादी न. 1 रामरतनगिरी के विरूद्ध प्रस्तुत किया हैं। जैरवाद भूमि प्रतिवादीगण/प्रार्थीगण के पिता कृपगर पुत्र जयरामगर को निलामी में आवंटित उनकी स्वअर्जित भूमि थी। कृपगर ने अपने नाम की उक्त वर्णित भूमि की वसीयत अपने जीवनकाल में ही प्रतिवादीगण संख्या 6 ता 8/प्रार्थीगण के पक्ष में गवाहान की मौजूदगी में दिनांक 18.03.2010 को निष्पादित करवाकर उप–पंजीयक कार्यालय सूरतगढ़ से पंजीबद्ध करवा दी थी। कृपगर के स्वर्गवास होने के बाद मुताबिक वसीयत के जैरवाद भूमि प्रतिवादीगण संख्या 6 ता 8 के नाम से दर्ज हो चुकी है। वादीगण का पिता प्रतिवादी न. 1 रामरतनगिर जो कि प्रतिवादीगण संख्या 6 ता 8/प्रार्थीगण का भाई हैं, का हिस्सा जैरवाद भूमि में नहीं हैं तथा ना ही राजस्व रिकार्ड में उसका नाम दर्ज हैं। उसके द्वारा भी एक वाद पत्र इसी अदालत में वाद संख्या 51/2014 अनवानी रामरतनगिरी बनाम हरद्वारीगिरी आदि प्रस्तुत कर रखा हैं जो जैरकार हैं जिसमें पेशी 06.04.2018 (वर्तमान में तारीख पेशी 07.01.2020)तय हैं। इस प्रकार जैरवाद भूमि जिसके विधिवत खातेदार प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण संख्या 6 ता 8 है। वादीगण के पिता प्रतिवादी न. 1 रामरतनगिरी का भी जैरवाद भूमि में कोई हक व हिस्सा नहीं है। जब वादीगण के पिता रामरतनगिरी का ही इस भूमि में कोई हिस्सा नहीं है तो वादीगण द्वारा रामरतनगिरी से हिस्सा मांगना गैरकानूनी हैं। वादीगण ने जैरवाद भूमि अपने दादा की बताते हुए उसमें प्रतिवादी न. 1 का काल्पनिक हिस्सा मानकर उसके हिस्सा में से अपना हिस्सा घोषित करवाने का अनुतोष चाहा हैं जो विधि विरूद्ध हैं। जब रामरतनगिरी को ही किसी प्रकार का हिस्सा अब तक प्राप्त नहीं हुआ है तो उसके पुत्रों को कैसे हिस्सा मिल जायेगा। वाद पत्र आवश्यक पक्षकारों के असंयोजन दोष से भी ग्रस्त हैं जब कृपगर के नाम की भूमि में हिस्सा मांग रहे है तो उसके सभी जायज वारिसान आवश्यक पक्षकार हैं, सभी पक्षकारों को सुने बगैर कोई आदेश पारित नहीं किया जा सकता है। परन्तु वादीगण द्वारा जानबूझकर आवश्यक पक्षकारों को तर्क करवा लिया हैं इसलिए आवश्यक पक्षकारों के अभाव में भी वाद पत्र इसी स्तर पर खारिज किया जावे। उक्त वाद पत्र में वाद कारण पैदा ही नहीं हुआ। चूंकि प्रतिवादी न. 1 के नाम से कभी भी रकबा दर्ज ही नहीं हुआ तथा ना ही प्रतिवादी न. 1 का कब्जा जैरवाद भूमि पर रहा। अतः उक्त वाद पत्र विधि विरूद्ध होने व वाद कारण के अभाव में निरस्त किया जावे। वादीगण/अप्रार्थीगण ने उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब कई अवसर देने के बाद भी प्रस्तुत नहीं किया। इसलिए वादीगण/अप्रार्थीगण का जवाब बन्द किया जाकर पत्रावली वास्ते बहस प्रार्थना पत्र पर रखी जाकर बहस	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

सुनी गई। वकील प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण संख्या 6 ता 8 ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादीगण ने अपने पिता प्रतिवादी न. 1 रामरतनगिरी के विरूद्ध हक घोषणा का दावा किया है जबकि जैरवाद भूमि रामरतनगिरी के नाम से ही नहीं हैं। रामरतनगिरी ने भी जैरवाद भूमि में अपना हक घोषित करवाने के लिए दावा कर रखा है जो जैरकार है। जब तक रामरतनगिरी का हक घोषित होकर राजस्व रिकार्ड में नाम नहीं आ जाता है तब तक वादीगण का वाद कारण ही पैदा नहीं होता है। वाद कारण के अभाव में तथा वाद विधि विरूद्ध होने से खारिज किया जावे।

वादीगण/अप्रार्थीगण के वकील ने अपनी बहस में निवेदन किया कि कृपगर ने 6 एच.डी.पी. की भूमि का बेचान कर यह भूमि निलामी मे खरीद की थी। इसलिए वादीगण ने पैतृक भूमि में अपने हिस्सा की घोषणा का दावा किया है। इसलिए प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण का खारिज किया जावे।

बहस उभय पक्ष की सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण का कथन हैं कि जैरवाद भूमि प्रतिवादी न. 1 रामरतनगिरी के पिता कृपगर के नाम से निलामी में खरीदशुदा उसकी स्वअर्जित भूमि थी तथा उन्होने अपने जीवनकाल में ही जैरवाद भूमि की वसीयत प्रार्थीगण के पक्ष में दिनांक 18.03.2010 को उप–पंजीयक कार्यालय सूरतगढ़ से रजिस्टर्ड करवा दी थी तथा इस वसीयत के आधार पर प्रार्थीगण के पक्ष में राजस्व रिकार्ड में भी अंकन हो चुका हैं। वादीगण के पिता प्रतिवादी न. 1 रामरतनगिरी द्वारा भी इसी अदालत में वाद संख्या 51/2014 जैरवाद भूमि में अपना हिस्सा घोषित करवाने के लिए प्रस्तुत कर रखा है जो जैरकार हैं। इस प्रकार जब प्रतिवादी न. 1 का ही हिस्सा ही तय नहीं हुआ है तो वादीगण प्रतिवादी न. 1 से किस प्रकार का हिस्सा मांग रहे हैं। वादीगण/अप्रार्थीगण ने इस बाबत अपना कोई प्रत्युतर नहीं दिया है तथा इन तथ्यों को अस्वीकार भी नहीं किया है। इस प्रकार जब प्रतिवादी न. 1 रामरतनगिरी के नाम से जैरवाद भूमि नहीं हैं इसलिए वादीगण को प्रतिवादी न. 1 के विरूद्ध किसी प्रकार का वाद कारण प्राप्त नहीं होता है। इसी प्रकार वादीगण ने खाता विभाजन का अनुतोष चाहा है जबकि वादीगण तथा प्रतिवादी न. 1 दोनो ही रिकार्डेड सहखातेदार नहीं हैं इसलिए भी वाद विधि विरूद्ध प्रतीत होता है। इसलिए वाद कारण के अभाव में तथा वाद विधि विरूद्ध होने के कारण वाद पत्र निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 व आदेश 1 नियम 9 व 151 सीपीसी स्वीकार किया जाता है तथा वाद पत्र वादीगण विधि विरूद्ध होने से व वाद कारण पैदा नहीं होने से खारिज किया जाता हैं। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 07.01.2020 को सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

(आदेश 21 नियम 6–7 जाब्ता दीवानी)

–:: परचा डिक्री ::–

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

(बइजलास – मनोज कुमार मीणा, आर.ए.एस.)

–: अनवान :–

1. बनवारी
2. पालाराम
3. मलूराम

पिसरान रामरतन गिरी अकवाम गुसांई निवासीयान रघुनाथपुरा हाल शेरगढ़ तहसील छतरगढ़ जिला बीकानेर।

.....वादीगण

बनाम

1. रामरतन गिरी पुत्र कृपगिरी जाति गुसांई निवासी रघुनाथपुरा तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
2. प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 आदेश दिनांक 29.10.2015 से तर्क
6. हरिद्वारी गिरी
7. जयदेव गिरी
8. बलदेव गिरी

पुत्रगण कृपगिरी जाति गुसांई निवासी रघुनाथपुरा तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राज.।

9. प्रतिवादी संख्या 9 व 10 आदेश दिनांक 29.10.2015 से तर्क
11. उप–पंजीयक सूरतगढ़
12. तहसीलदार(राजस्व) सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राज.।

.....प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 88, 188, 209, राज. काश्तकारी अधिनियम 1955 मुकदमा न. 57 वर्ष 2014 यह मुकदमा वास्ते इनफिसाल किताई रूबरू हमारे हाजरी वकील वादीगण श्री जसवीर सिंह बराड़ व वकील प्रतिवादीगण संख्या 6 ता 8 श्री भागीरथ विश्नोई व राज पैरोकार के हाजिर होने पर हुक्म दिया जाता है व डिक्री जारी की जाती है कि :–

वाद पत्र वादीगण विधि विरूद्ध होने से व वाद कारण पैदा नहीं होने से खारिज किया जाता है।

नोज..... × ..... मुबलिग.....× ..... बाबत.....×..... ....खर्चा इस मुकदमे में मय सूद बशरह ..... × ..... फस्दो की पालना ..... ×..... ... आज की तारीख से तारीख वसूलया वो तक की अदा करे।

बसिद्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 07.01.2020 को जारी की गई।

(मनोज कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.01.10 11:32:52 IST
Reason: SelfAttested
Location: